5/1/18 पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बजारे है पत्रावली दिनांक 9/1/18 को पेश हो ।

9/1/18 पत्रावली पेश बार एसोसियशन में कहां प्रेस .... कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इसलिका दिनांक 16/1/18 को पेश हो ।

16/1/18 पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बजारे है पत्रावली दिनांक 29/1/18 को पेश हो ।

29.1.18 वकुलाय उप० वकील अप्रार्थी 21,22 ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने केवल अप्रार्थी 21,22 के विरुद्ध दस्तुआ चाही है तथा अप्रार्थीगण ने 10.8.16 को जबाब पेश कर दिया शेष अप्रार्थीगण फोरमल पक्षकार बनाया है प्रार्थीगण जानबूझ कर शेष की तामील नहीं करवा रहे हैं तथा हम अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर रखा है जिससे शेष अप्रार्थीगण की तलबी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र में कोई रिलिफ प्रार्थीगण द्वारा नहीं चाही है। तत्पश्चात उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने बंटवारे के वाद के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा विवादित आराजीयत में हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषणा कर बंटवारा चाहते हैं विवादित भूमि ग्राम लाबनपुरा के ख० न० 253,254 कुल रकबा 11.66 हैक्टयर भूमि धन्नाराम, रतनाराम पि० किशनाराम व अन्य सह खातेदारों के साथ काबिज काश्त रहे हैं। अप्रार्थी 4 धन्नाराम व 13 रतनाराम ने अपने हक हिस्से की भूमि जिसमें कुए में 1/3 हिस्से सहित प्रतिफल की राशि प्राप्त कर दिनांक 24.5.99 को अप्रार्थी 20 भूराराम को बेचान कर दिया था। खरीद के बाद 0.96 हैक्टयर भूमि पर अप्रार्थी 20 की खातेदारी दर्ज होकर काबिज काश्त चला आ रहा था। तत्पश्चात अप्रार्थी 20 ने अपनी खरीद सुदा खातेदारी भूमि दिनांक 6.5.13 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान अप्रार्थी 21,22 को कर दिया है खरीद के दिन से कुए सहित 0.96 हैक्टयर का उपयोग उपभोग अप्रार्थी 21,22 करते आ रहे हैं। अप्रार्थी 4,13 द्वारा 15 वर्ष पूर्व अप्रार्थी 20 को किये गये बेचान पर उज्र व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्[illegible] अहका[illegible] की ता[illegible]

एतराज नहीं उठाया है। अप्रार्थी 21,22 ने उक्त 0.96 हे० खरीद का कब्जा प्राप्त किया है तथा मौके पर उपयोग उपभोग कर रहे हैं जिनके विरुद्ध प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवादित भूमि के रिकॉर्ड खातेदार रतनाराम, थ. नाराम पि० किसाना राम ने अपने हक हिस्से की भूमि में से 0.96 हैक्टयर व कुए में 1/3 हिस्से का बैचान 25.8.99 को अप्रार्थी 20 भूराराम को किया है उक्त बैचान के आधार पर भूराराम के खातेदारी दर्ज हुई है। अप्रार्थी 20 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी 21,22 को बैचान किया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी 21,22 को ही पाबन्द करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। अप्रार्थी 21, 22 खरीद के दिन से संयुक्त रूप से काबिज काश्तकार हैं तथा प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद की है। जिसके अनुसार अप्रार्थी 21,22 उक्त विवादित आराजीयत में रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी 21,22 प्रार्थीगण के साथ संयुक्त खातेदार हैं तथा जो तथ्य प्रार्थना-पत्र में वर्णित किये हैं वो सभी मूल वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होने हैं। एक सह काश्तकार अपने ही सह काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करा सकता है। 15 वर्ष पूर्व जब अप्रार्थी 20 द्वारा भूमि खरीद की गई थी तब प्रार्थीगण ने कोई उज्र या ऐतराज पेश नहीं किया है। संयुक्त खातेदारी में केवल दो खातेदारो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की रिलिफ चाही है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी 21,22 रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है कानूनन भी उनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र में अन्य पक्षकारों के विरुद्ध कोई रिलिफ नहीं चाही है जिससे इस प्रार्थना-पत्र को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रतीत नहीं होता है। अत: प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नावां